

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

श्री अशोक कुमार मीणा व्याख्याता इतिहास रा.उ.मा.वि बड़गांव-बून्दी का निम्नांकित विवरणानुसार राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अन्तर्गत मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा अभियान, हिण्डोली-बून्दी की अभिशंषा के आधार पर असाधारण अवकाश एतद् द्वारा स्वीकृत किए जाते हैं:-

क्र.स	अवकाश का प्रकार	आवेदित अवकाश की अवधि	स्वीकृत किए जाने वाले अवकाश की अवधि
1	असाधारण अवकाश - RSR नियम(96)	26.06.2020 से 05.11.2020-133 दिवस	26.06.2020 से 05.11.2020-133 दिवस

संबंधित संस्थाप्रधान द्वारा उक्त कार्मिकों की सेवा पुस्तिका में असाधारण अवकाश का इन्द्राज किया जावे एवं राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 (ख) की पालना की जावे।



(काना राम)

IAS

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

दिनांक- 01.04.22

क्रमांक:- शिविरा/माध्य/संस्था/सी-2/इति-वाणि/अ.अवकाश/2020/वो-III
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
- 2 संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय (माध्यमिक)
- 3 संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
- ✓ 4 सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय साईट पर अपलोड करने हेतु
- 5 संबंधित शाला/संस्था प्रधान/कार्मिक
- 6 रक्षित पत्रावली।

बीकानेर

सत्यमेव जयते



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान